HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Revision Petition No. 127/2022

1. Prakash S/o Jamnalal Suhalka, Aged About 58 Years, R/o Keshav Nagar, University Road, Udaipur (Raj.)
2. Dinesh S/o Banshilal Suhalka, Aged About 52 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)
3. Ritesh S/o Sohanlal Suhalka, Aged About 46 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)

----Petitioners

Versus

1. Ramesh S/o Radha Kishan Paliwal, R/o Gogunda, District Udaipur.
2. Rajkumar Chanchwat S/o Shri Amba Lal Chanchwat, Aged About 56 Years, R/o Sector No 11, Hiran Magari, Udaipur (Rajasthan).
3. LRs Of Duda S/o Shri Kalu Ji Dangi
   3/1. Prabhulal S/o Duda Dangi, R/o Gudali, Tehsil Mawli, District Udaipur.
4. Pyarchand, R/o Gudali, Tehsil Mawli, District Udaipur (Rajasthan)
5. Ram Niranjan Gaud S/o G.S. Gaud, R/o 3/88, Gandhinagar, Jaipur (Raj.)

----Respondents

<u>Connected With</u>

S.B. Civil Revision Petition No. 112/2022

1. Prakash S/o Jamnalal Suhalka, Aged About 58 Years, R/o Keshav Nagar, University Road, Udaipur (Raj.)
2. Dinesh S/o Banshilal Suhalka, Aged About 52 Years, R/o 2-3 Patel Circle, Udaipur.
3. Ritesh S/o Sohanlal Suhalka, Aged About 46 Years, R/o 2-3 Patel Circle, Udaipur.

----Petitioners

Versus

1. Ramniranjan Gaud S/o G.S. Gaud, R/o 3/88, Gandhinagar, Jaipur (Raj.)
2. Anirudh Sharma S/o Late Punam Chand Sharma, R/o 115, Pragati Nagar, SECL Colony, Dipka, Distt. Korba (Chhatisgarh)
3. Rajkumar Chanchwat S/o Shri Ambalal Chanchwat,, R/o Hiran Magari, Sector No. 11, Udaipur.
4. LRs Of Duda S/o Kalu Dangi
   4/1. Prabhulal S/o Duda Dangi, R/o Gudali, Tehsil Mawli, District Udaipur.
5. Pyarchand S/o Kalu Dangi, R/o Gudali Tehsil Mawli, Distt. Udaipur.
6. Ramesh S/o Radha Kishan Paliwal, R/o Gogunda, Distt. Udaipur.

----Respondents

S.B. Civil Revision Petition No. 125/2022

Raj Kumar S/o Shri Amba Lal Chanchawat, Aged About 56 Years, R/o Sector No 11, Hiran Magari, Udaipur (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. LRs Of Duda S/o Shri Kalu Ji Dangi
   1/1. Prabhu Lal S/o Duda Ji Dangi, R/o Gudli, Tehsil Mavali, District Udaipur (Rajasthan)
2. Pyar Chand S/o Kalu Ji Dangi, R/o Gudli, Tehsil Mavali, District Udaipur (Rajasthan)
3. Ramesh S/o Radha Kishan Paliwal, R/o Gogunda, District Udaipur (Rajasthan)
4. Rai Niranjan S/o Shri G.S. Gaur, R/o 41/5, Ashok Nagar, Udaipur
5. Aniruddh Sharma S/o Shri Punam Chand Sharma, R/o 115 Pragati Nagar, SECL Colony, Dipka, District Korba (Chhatishgarh)
6. Prakash S/o Shri Jamana Lal Ji Suhalka, Aged About

55 Years, R/o Keshav Nagar, University Road, Udaipur (Rajasthan)

7. Dinesh S/o Shri Banshi Lal Ji Suhalka, Aged About 47 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)

8. Ritesh S/o Shri Sohan Lal Ji Suhalka, Aged About 41 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)

----Respondents

S.B. Civil Revision Petition No. 126/2022

Raj Kumar S/o Shri Amba Lal Chanchawat, Aged About 56 Years, R/o Sector No 11, Hiran Magari, Udaipur (Rajasthan).

----Petitioner

Versus

1. LRs Of Duda, S/o Shri Kalu Ji Dangi

   1/1. Prabhu Lal S/o Duda Ji Dangi, R/o Gudli, Tehsil Mavali, District Udaipur (Rajasthan)

2. Pyar Chand S/o Kalu Ji Dangi, R/o Gudli, Tehsil Mavali, District Udaipur (Rajasthan)

3. Ramesh S/o Radha Kishan Paliwal, R/o Gogunda, District Udaipur (Rajasthan)

4. Rai Niranjan S/o Shri G.s. Gaur, R/o 41/5, Ashok Nagar, Udaipur

5. Prakash S/o Shri Jamana Lal Ji Suhalka, Aged About 55 Years, R/o Keshav Nagar, University Road, Udaipur (Rajasthan)

6. Dinesh S/o Shri Banshi Lal Ji Suhalka, Aged About 47 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)

7. Ritesh S/o Shri Sohan Lal Ji Suhalka, Aged About 41 Years, R/o 2-3, Patel Circle, Udaipur (Rajasthan)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Sajjan Singh Rajpurohit with
Mr. Manish Bhunwal
Mr. Deelip Kawadia

For Respondent(s) : Mr. Muktesh Maheshwari with Mr. Aidan Choudhary

---

HON'BLE MR. JUSTICE MADAN GOPAL VYAS

<u>Judgment</u>

<u>Date of Judgment: 22/12/2022</u>

01. धारा 115 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ये पुनरीक्षण याचिकायें पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण ने विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, उदयपुर के द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 74/2018 रामनिरंजन गौड़ व अनिरुद्ध शर्मा बनाम राजकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 एवं विविध दीवानी प्रकरण संख्या 73/2018 रमेश बनाम राजकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिनके द्वारा प्रार्थीगण रामनिरंजन गौड़, अनिरुद्ध शर्मा व रमेश पालीवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 11.10.2013 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2016 को अपास्त किया गया।

02. मूलतः ये याचिकायें, मूल दीवानी दावा संख्या 248/2011 में पारित एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 17.12.2016 के संबंध में प्रार्थी रमेश पालीवाल ने विविध दीवानी प्रकरण संख्या 73/2018 तथा प्रार्थी रामनिरंजन गौड़ व अनिरुद्ध शर्मा ने विविध दीवानी प्रकरण संख्या 74/2018, आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए, जिन पर उपर्युक्तानुसार आक्षेपित आदेश पारित किए, जिनसे व्यथित होकर ये चार पुनरीक्षण याचिकायें प्रस्तुत हुई हैं।

03. ये सभी पुनरीक्षण याचिकायें एक ही प्रकरण से संबंधित हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से इन सभी पुनरीक्षण याचिकाओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

04. योग्य अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण प्रकाश, दिनेश व रितेश की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी रामनिरंजन गौड़ का अभिलेख पर पता 41/5 अशोक नगर, उदयपुर उपलब्ध था। रामनिरंजन के इसी पते पर

सुनवाई की तिथि दिनांक 25.04.2011 के लिए समन जारी किए गए। जिस पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि समन में अंकित पते पर रामनिरंजन गौड़ के बारे में काफी पूछताछ की गई, परंतु उक्त पते पर रामनिरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। उसके पश्चात् सुनवाई की तिथि दिनांक 17.01.2012 के लिए भी रामनिरंजन गौड़ का समन 41/5 अशोक नगर, उदयपुर के पते पर जारी किया गया, जिस पर भी यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि उक्त पते पर रामनिरंजन नाम के व्यक्ति के बारे में पूछताछ की तो बताया कि वर्तमान में इस नाम से यहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है। रामनिरंजन अपने उक्त पते से निवास छोड़कर कहीं चला गया। रामनिरंजन का पी.सी. शर्मा बहनोई था। रामनिरंजन गौड़ का अनिरुद्ध शर्मा भांजा है। अनिरुद्ध शर्मा की बहन का डॉ० एन.सी. शर्मा ससुर है।

अभिलेख पर रामनिरंजन गौड़ का 41/5 अशोक नगर, उदयपुर के अतिरिक्त अन्य कोई पता नहीं था, इसलिए रामनिरंजन गौड़ के इसी पते पर समन भेजा गया। लेकिन उक्त पते पर रामनिरंजन गौड़ नाम के किसी व्यक्ति का नहीं रहना पाया, जिस पर न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.02.2013 के अनुसार वादी के प्रार्थना–पत्र आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता पर प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के समन राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाए जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 12.02.2013 के आदेश को प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण ने कोई चुनौती नहीं दी है। आदेशिका दिनांक 16.05.2013 के अनुसार प्रतिवादीगण के समन पत्रिका में दिनांक 15.05.2013 को प्रकाशित हो चुके और उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर आदेशिका दिनांक 11.10.2013 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश दिया गया। निर्णय दिनांक 17.12.2016 के द्वारा वादी का दावा डिक्री किया गया। निष्पादन कार्यवाही में विक्रय पत्र न्यायालय के मार्फत वादी राजकुमार के पक्ष में दिनांक 13.09.2017 को पंजीकृत हुआ। तत्पश्चात् राजकुमार ने प्रश्नगत संपत्ति विक्रय पत्र दिनांक 26.10.2017 के द्वारा प्रकाश, चंचल, दिनेश व रितेश को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया और विक्रय पत्र के अनुसरण में राजकुमार ने प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्रकाश आदि क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया। प्रत्यर्थी प्रार्थीगण रामनिरंजन गौड़, अनिरुद्ध शर्मा व रमेश पालीवाल प्रकरण की कार्यवाही के लिए कभी सतर्क नहीं रहे।

प्रत्यर्थी प्रार्थी रामनिरंजन गौड़ ने हस्तगत कार्यवाही में सर्वप्रथम न्यायालय के समक्ष यह व्यक्त किया कि 41/5 अशोक नगर, उदयपुर का पता अंकित कर, जो वाद प्रस्तुत किया, वह गलत है। उक्त मकान में पूर्व में उसके बहनोई की प्रिंटिंग प्रेस थी, इसलिए विक्रय पत्र में उक्त परिसर का पता अस्थाई तौर पर अंकित कर दिया गया, लेकिन विक्रय पत्र में यह अंकित नहीं है कि 41/5 अशोक नगर, उदयपुर का पता अस्थाई तौर पर हो।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जब रामनिरंजन 41/5 अशोक नगर, उदयपुर में रहता ही नहीं था और दो बार समन की तामील न होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, इसलिए फिर उसी पते पर और समन जारी किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसी स्थिति में आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत अखबार में समन प्रकाशन के अतिरिक्त अन्य कोई तामील का माध्यम शेष नहीं रहता है। इसलिए आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर जो दिनांक 12.02.2013 को आदेश पारित किया, वह सही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.02.2013 को Recall भी नहीं किया है।

योग्य अधिवक्ता पुनरीक्षणकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि जो दावे में पक्षकार था, केवल वही आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है। रामनिरंजन गौड़ दावे में पक्षकार था, इसलिए उसकी सीमा तक आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र पोषणीय है। अनिरुद्ध शर्मा दावे में पक्षकार नहीं था, इसलिए अनिरुद्ध शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त होने पर अनिरुद्ध शर्मा आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकार के रूप में संयोजित होने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता था। एकपक्षीय निर्णय व डिक्री की पालना हो चुकी है। प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण को सब जानकारी थी, लेकिन फिर भी वे प्रकरण की कार्यवाही के प्रति लापरवाह रहे हैं, इसलिए आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी रामनिरंजन गौड़ व रमेश पालीवाल ने अपनी अनुपस्थिति का कोई उचित एवं न्यायसंगत कारण भी प्रकट नहीं किया और न ही आक्षेपित आदेश में इस संबंध में कोई उल्लेख किया है। प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 मियाद बाहर है।

यह भी तर्क दिया कि रमेश पालीवाल दावे में पक्षकार था, जो Power of Attorney Holder की हैसियत से औपचारिक पक्षकार था। रमेश पालीवाल के विरुद्ध कोई अनुतोष भी वांछित नहीं था। इसलिए रमेश पालीवाल भी आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आक्षेपित आदेश अनुचित एवं अवैध है। अंत में निवेदन किया कि पुनरीक्षण याचिकायें स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश अपास्त किया जावे। उन्होंने अपने इन तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित नजीरें पेश कीं, जिनका मैंने अवलोकन किया :–

1. Madan Lal (since deceased) & Ors. Versus Prabhu Dayal & Ors.: 2009(2) CivCC 789
2. Anupam Lubricants Ltd. (M/s.) and Anr. Versus Narendra Kumar Sethi and Ors.: 2014(1) RLW 564
3. Vasant Jaiwantrao Mahajan Versus Tukaram Mahadaji Patil: 1960 AIR (Bombay) 485
4. Kewal Ram Versus Smt. Ram Lubhai and others: 1987 AIR (Supreme Court) 1304
5. Ram Prakash Agarwal and another Versus Gopi Krishan Agrawal (Dead through L.Rs.) and others: 2014(6) R.C.R. (Civil) 732
6. The Commissioner of Income-tax, Punjab, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh Versus Daulat Ram Khanna: AIR 1967 Supreme Court 1552
7. Raj Kumar Singh Versus Gourishankar Jhunjhunwala and others: 1967 AIR (Patna) 280
8. Mahabir Singh Versus Subhash and Ors.: AIR 2008 SC 276
9. Kodai Ram Versus Ram Sunder Tewari: AIR 1973 All 58

05. प्रत्यर्थी प्रार्थीगण रामनिरंजन गौड़, अनिरुद्ध शर्मा व रमेश पालीवाल के योग्य अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि दूदा व प्यारचंद ने प्रश्नगत भूमि के संबंध में रमेश पालीवाल के पक्ष में मुख्त्यारनामा आम दिनांक

20.08.1996 को निष्पादित किया। तत्पश्चात् दिनांक 06.11.1996 को रमेश पालीवाल ने बहैसियत मुख्त्यार प्रश्नगत भूमि रामनिरंजन गौड़ को विक्रय की। दिनांक 24.01.1999 को रामनिरंजन गौड़ के पक्ष में म्यूटेशन दर्ज किया गया। रामनिरंजन गौड़ ने भूमि की किस्म परिवर्तन के लिए दिनांक 29.01.2001 व 04.01.2005 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर दिनांक 07.11.2007 को नगर निगम ने भूमि की किस्म परिवर्तन का आदेश पारित किया। दिनांक 14.01.2011 को रामनिरंजन गौड़ के पक्ष में निगम ने पट्टा जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 08.02.2011 को निगम ने रामनिरंजन गौड़ के पक्ष में पट्टा जारी किया। दिनांक 11.08.2015 को रामनिरंजन ने अनिरुद्ध शर्मा के पक्ष में दानपत्र निष्पादित किया। दिनांक 13.10.2015 को प्रश्नगत भूमि का निगम में अनिरुद्ध शर्मा के पक्ष में नामांतरण हुआ।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी प्रार्थीगण ने यह भी तर्क दिया कि वादी राजकुमार ने विक्रय के करार के आधार पर दिनांक 25.01.2011 को संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का दावा प्रस्तुत किया, जो दिनांक 01.02.2011 को दर्ज कर प्रतिवादीगण को समन जारी करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी प्यारचंद की ओर से दिनांक 25.04.2011 को अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के समन तलबाना पेश नहीं हुए, जो पेश करने पर जारी करने का आदेश दिया। फिर दिनांक 18.08.2012 को प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के समन वादी की निशानदेही से तामील करवाने का आदेश दिया। आदेशिका दिनांक 12.02.2013 के अनुसार पी.एफ. व समन पेश नहीं होने के कारण तामील जारी नहीं हुई, लेकिन उसी दिन वादी ने आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवदेन प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के समन राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित करवाए जाने का आदेश दिया। तत्पश्चात् पत्रावली दिनांक 20.03.2013 को नियत हुई, लेकिन वादी ने समन प्रकाशित नहीं करवाए, जिस पर पुनः समन जारी करने का आदेश दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16.05.2013 को नियत की गई। आदेशिका दिनांक 16.05.2013 के अनुसार प्रतिवादीगण के समन राजस्थान पत्रिका में दिनांक 15.05.2013 के अंक में प्रकाशित हो चुके। इस प्रकार राजस्थान पत्रिका में समन, सुनवाई की तिथि से एक दिन पहले प्रकाशित हुए। प्रतिवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होने व जवाब प्रस्तुत करने के लिए केवल एक दिन का समय उपलब्ध हुआ, जो अपर्याप्त है। आदेशिका दिनांक 12.02.2013 में

समाचार–पत्र के माध्यम से समन तामील के कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं है। समन की तामील नियमित माध्यम से नहीं होने का भी उल्लेख आदेशिका दिनांक 12.02.2013 में नहीं है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रामनिरंजन गौड़ सचिवालय सेवा का अधिकारी है और वह जयपुर में ही निवास करता है। पी.सी. शर्मा, जो कि रामनिरंजन का बहनोई था, की प्रिंटिंग प्रेस 41/5 अशोक नगर, उदयपुर में थी। वर्ष 2003 में ही पी.सी. शर्मा की 41/5 अशोक नगर, उदयपुर में संचालित प्रेस भी नहीं रही व परिसर का कब्जा भी भू–स्वामी को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर का पता रामनिरंजन गौड़ का अस्थाई पता था। रामनिरंजन गौड़ स्थाई रूप से जयपुर में ही निवास करता है। 41/5 अशोक नगर, उदयपुर के पते पर जारी समन पर जब एक ही प्रकार की रिपोर्ट आई, तब प्रत्यर्थी वादी राजकुमार को प्रतिवादी रामनिरंजन गौड़ के वर्तमान पते की जानकारी प्राप्त कर, समन जारी करवाना चाहिए। वादी राजकुमार को यह सब जानकारी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने न्यायालय के समक्ष रामनिरंजन गौड़ का सही पता पेश नहीं किया और जिस पते पर रामनिरंजन नहीं रहता था, उस पते का समाचार पत्र में समन जारी करवा दिया।

योग्य अधिवक्ता श्री माहेश्वरी ने यह भी तर्क दिया कि राजकुमार या पश्चात्वर्ती क्रेता का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। रामनिरंजन गौड़ द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् से हमेशा उसी का ही कब्जा रहा है और रामनिरंजन ने ही भूमि की किस्म परिवर्तन की कार्यवाही की, तब निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मौका निरीक्षण कर भूमि पर कब्जा रामनिरंजन का ही पाया। न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में राजकुमार के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र दिनांक 13.09.2017 में प्रश्नगत भूमि की खातेदारी अंकित है। पश्चात्वर्ती विक्रय, जो राजकुमार ने प्रकाश, चंचल, दिनेश व रितेश के पक्ष में दिनांक 26.10.2017 को पंजीबद्ध करवाया, उसमें आबादी भूमि बताई है। जबकि रामनिरंजन ने नगर निगम से भूमि परिवर्तित करवाई थी।

एकपक्षीय पारित निर्णय व डिक्री की पालना में न्यायालय द्वारा विक्रय–पत्र वादी राजकुमार के पक्ष में पंजीकृत करवाने तथा राजकुमार के द्वारा पश्चात्वर्ती क्रेतागण के पक्ष में विक्रय–पत्र पंजीकृत करवाने की जानकारी प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण को हुई, तब प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण ने न्यायालय से प्रलेखों

की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय से प्रमाणित प्रतिलिपियां 17 व 19 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हुई और दिनांक 03.05.2018 को मौजूदा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रस्तुत कर दिए। अतः प्रत्यर्थीगण प्रार्थीगण ने प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर ही आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया।

योग्य अधिवक्ता श्री माहेश्वरी ने यह भी तर्क दिया कि आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रत्यर्थी वादी राजकुमार ने आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अनिरुद्ध शर्मा हस्तगत प्रकरण में Stranger है और उसे एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करवाने का अधिकार नहीं है, जो विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 29.10.2018 के द्वारा खारिज किया। जिसको कोई चुनौती नहीं दी, इसलिए यह आदेश अंतिम हो चुका है।

विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विविध दीवानी प्रकरण संख्या 73/2018 रमेश बनाम राजकुमार में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रमेश पालीवाल की हैसियत मात्र एक मुख्त्यार आम की थी, जो विक्रय का करार करने तक ही थी, और फिर उसके अधिकार समाप्त हो गए है, इसलिए अब उसका प्रकरण में कोई हित नहीं हैं। अतः रमेश पालीवाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.10.2018 के द्वारा अप्रार्थी राजकुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया। इस आदेश को भी कहीं चुनौती नहीं दी और यह आदेश अंतिम हो चुका है। रमेश आवश्यक पक्षकार है। संपत्ति अनिरुद्ध शर्मा के पक्ष में अंतरित हो चुकी है, इसलिए वह भी आवश्यक पक्षकार है। आक्षेपित आदेश उचित एवं विधिसम्मत है, इसलिए पुनरीक्षण याचिकायें खारिज किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने इन तर्कों की पुष्टि में निम्नलिखित नजीरें पेश कीं, जिनका मैंने अवलोकन किया।

1. Iqbal Kaur & Ors. Versus Jagdish Prasad & Ors.: 2013(3) RLW 1995 (Raj.)

2. Neerja Realtors Private Limited Versus Janglu (Dead) Through Legal Representative: (2018) 2 Supreme Court Cases 649

3. Mayur Crafts Pvt. Ltd. (M/s.) Versus Anil Kumar Bansal & Anr.: 2014(2) DNJ (Raj.) 568

4. Bhagwati Lal Versus Smt. Sangeeta: 2017(2) DNJ (Raj) 705

5. Smruti Pahariya Versus Sanjay Pahariya: 2009(4) RLW 3070 (SC)

6. Gauhati University Versus Niharlal Bhattacharjee: (1995) 6 Supreme Court Cases 731

06. खंडन में प्रत्यर्थी वादी राजकुमार के योग्य अधिवक्ता श्री कावड़िया ने यह तर्क दिया कि दिनांक 15.05.2013 को प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के समन समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 15.05.2013 के अंक में प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पांच माह पश्चात् दिनांक 11.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में कब्जे का बिंदु असंगत है। राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समन में रामनिरंजन गौड़ का सही पता अंकित है। अनिरुद्ध शर्मा आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही में पक्षकार नहीं रह सकता है, क्योंकि वह मूल दावे में पक्षकार नहीं था। अंत में निवेदन किया कि आक्षेपित आदेश उचित एवं विधिसम्मत नहीं है, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

07. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। उल्लेखनीय है कि वादी राजकुमार ने प्रतिवादी दूदा, प्यारचंद, रमेश पालीवाल व रामनिरंजन के विरुद्ध संविदा की विनिर्दिष्ट पालना का दावा दिनांक 25.01.2011 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 01.02.2011 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किए जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 25.04.2011 को प्रतिवादी प्यारचंद की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के संबंध में कोई आदेश नहीं दिए गए। पत्रावली दिनांक 28.07.2011 के लिए नियत की

गई। उस दिन प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के पी.एफ. समन पेश होने पर समन जारी करने का आदेश दिया। पत्रावली दिनांक 24.09.2011 को नियत की गई। उस दिन भी प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 का पी.एफ. समन पेश नहीं हुआ तथा पी.एफ. समन पेश होने पर समन पूर्वानुसार जारी करने का आदेश दिया और पत्रावली दिनांक 11.11.2011 के लिए नियत की गई। उस दिन पी.एफ. और समन पेश करने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को समन जारी करने का आदेश देकर पत्रावली दिनांक 17.01.2012 के लिए नियत की गई एवं दिनांक 17.01.2012 को प्रतिवादी संख्या 3 का समन नहीं लौटा और प्रतिवादी संख्या 4 का समन अदम तामील लौटा। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस प्रभुलाल को अभिलेख पर लिया। संशोधित अनवान, पी.एफ. व समन पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 1 के वारिस प्रभुलाल को समन जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 13.03.2012 को पी.एफ. व समन पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 को समन जारी करने का आदेश दिया। दिनांक 21.05.2012 व 18.08.2012 को भी पी.एफ. व समन पेश होने पर पूर्वानुसार जारी करने का आदेश दिया और समन वादी की निशानदेही से तामील करवाने का निर्देश दिया। पंजीकृत डाक से भी समन जारी करने का आदेश दिया। इन आदेशिकाओं की पालना में केवल प्रतिवादी संख्या 1/1 के समन जारी किए गए, शेष प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के समन तलबाना पेश नहीं होने से जारी नहीं हुए। आदेशिका दिनांक 29.10.2012 को भी प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 के समन पूर्वानुसार जारी करने का आदेश दिया एवं पत्रावली दिनांक 12.02.2013 के लिए नियत की गई। दिनांक 12.02.2013 की आदेशिका के आरंभ में यह अंकित किया है कि पी.एफ. समन पेश नहीं होने से तामील जारी नहीं हुई। अब पी.एफ. फॉर्म पेश होने पर पूर्वानुसार जारी हो। तत्पश्चात् वादी की ओर से आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र पेश हुआ, जिस पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "इतना लिखने पर वकील वादी ने प्रा.पत्र O 5 R-20 CPC पेश कर प्रतिवादीगण की तामिलें प्रतिस्थापित विधि से प्रकाशन के आधार पर करना चाहते हैं। प्रा.पत्र पर सुना गया। प्रतिवादीगण 1, 3, 4 की तामील सुनिश्चित हेतु सम्मन प्रकाशन का आदेश दिया जाता है। वादी के खर्चें पर प्रतिवादीगण 1/1 एवं 3, 4 के सम्मन राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराये जावें। फार्म पेश होने पर सम्मन जारी कर दस्ती वकील वादी को दिये गये। पत्रावली देखने तामील दिनांक 20.03.2013 को पेश हो।"

08. दिनांक 20.03.2013 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी 1/1, 3 व 4 के समन प्रतिस्थापित विधि से पेश नहीं किए गए हैं, तलबाना पेश होने पर पुनः पत्रावली दिनांक 16.05.2013 को पेश हो। दिनांक 16.05.2013 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादीगण के समन अखबार पत्रिका में दिनांक 15.05.2013 के अंक में प्रकाशन के पेश हो चुके हैं। कोई उपस्थित नहीं है। पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली दिनांक 16.07.2013 को नियत की गई। उस दिन भी पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली दिनांक 11.10.2013 नियत की गई एवं दिनांक 11.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 व 1/1 के विरुद्ध एकपीक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए।

09. अब विचारणीय बिंदु यह उत्पन्न होता है कि क्या प्रतिवादी संख्या 3 व 4 क्रमशः रमेश पालीवाल व रामनिरंजन गौड़ की तामील विधिनुसार सम्यक् रूप से हुई अथवा नहीं ? प्रतिवादी संख्या 4 रामनिरंजन के न्यायालय द्वारा दो बार समन 41/5 अशोक नगर, उदयपुर के पते से जारी किए गए, जिन पर यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि इस पते पर रामनिरंजन के बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन वर्तमान में उक्त पते पर रामनिरंजन नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है।

10. इस संबंध में प्रत्यर्थी प्रार्थी रामनिरंजन का यह कथन है कि वह सचिवालय सेवा में है और जयपुर में निवास करता है। विक्रय पत्र दिनांक 06.11.1996 में उसका पता 41/5 अशोक नगर, उदयपुर अंकित है, जहां पर उसके बहनोई पी.सी. शर्मा की प्रिंटिंग प्रेस थी और वह उसने 2003 में खाली कर भू–स्वामी को सुपुर्द कर दिया।

11. इस प्रकार रामनिरंजन गौड़ के नाम से जारी दोनों समन पर एक ही प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान में समन में अंकित पते पर इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। ऐसी परिस्थितियों में वादी का यह कर्त्तव्य व दायित्व बनता है कि वह रामनिरंजन गौड़ के वर्तमान पते की जानकारी प्राप्त कर उसका नया पता न्यायालय में प्रस्तुत कर समन की तामील का प्रयास करता, लेकिन वादी द्वारा रामनिरंजन गौड़ के वर्तमान पते के बारे में न्यायालय में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में Bhagwati Lal Versus Smt. Sangeeta: 2017(2)

DNJ (Raj) 705 में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पैरा संख्या 06 और 10 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :—

> "6. We would also like to state the mode of service under Order V Rule XX CPC is an exceptional mode and that can be adopted only in exceptional circumstance by recording satisfaction of the Court to the effect that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or for other reason the summons cannot be served in ordinary way. The order dated 14.12.2016 lacks such satisfaction. The sole reason given by the Registrar (Admn.) is that "Perusal of the record shows that the notices issued earlier received for want of fresh address with report that the respondent has vacated her rented house and her present whereabout is not known." The appropriate course in such circumstance is not to invoke the mode given under Order V Rule XX CPC but to direct the appellant to make more efforts to have current address of the party concern. The Court before invoking the powers under Order V Rule XX CPC is required to record its satisfaction and that means that no other way is available to serve notice except adopting the exceptional method.
>
> 10. We would like to state that as a matter of fact the entire application nowhere disclose any effort on the part of the appellant to trace out present address of the respondent. No material is available to satisfy ourselves at this stage to arrive at the conclusion that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service or that for any other reason the summons cannot be served in ordinary way. The application under Order V Rule XX C.P.C., thus, is dismissed."

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने मूल दावे में प्रतिवादी रामनिरंजन व रमेश पालीवाल पर समुचित तामील का प्रयास सुनिश्चित किए बिना समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिस्थापित तामील के आदेश दिए। प्रतिवादी रामनिरंजन का कोई नया पता वादी ने पेश नहीं किया। आदेश 5 नियम 17 सिविल प्रक्रिया

संहिता का अवलम्ब लिए बिना प्रतिस्थापित का आदेश दिया। आदेशिका दिनांक 12.02.2013 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1, 3 व 4 की तामील समाचार पत्र में प्रकाशन का आदेश दिया, लेकिन आदेशिका दिनांक 12.02.2013 में प्रतिस्थापित तामील की संपुष्टि के कोई आधार व कारण अंकित नहीं किए हैं। तामील के लिए दिए गए अन्य तरीकों से प्रतिवादी पर तामील सुनिश्चित नहीं हो सकती हो या प्रतिवादी तामील से बच रहा हो, तब प्रतिस्थापित तामील का आदेश दिया जा सकता है। साधारण परिस्थितियों में प्रतिस्थापित तामील का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिस्थापित तामील के संबंध में प्रावधान हैं, जो निम्नप्रकार से हैं :–

> "प्रतिस्थापित तामील –– (1) जहाँ न्यायालय का समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कारण है कि प्रतिवादी इस प्रयोजन से कि उस पर तामील न होने पाये, सामने आने से बचता है या समन की तामील मामूली प्रकार से किसी अन्य कारण से नहीं की जा सकती वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि समन की तामील उसकी एक प्रति न्याय–सदन के किसी सहज–दृश्य स्थान में लगाकर और (यदि ऐसा कोई गृह हो) तो उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी का अन्तिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात है, किसी सहज–दृश्य भाग पर भी लगा कर या ऐसी अन्य रीति से, जो न्यायालय ठीक समझे, की जाए। ..."

13. वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 5 नियम 20 सिविल प्रक्रिया संहिता पर पारित आदेश दिनांक 12.02.2013 में आदेश 5 नियम 20(1) सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के समाधान के कोई कारण व आधार अंकित नहीं किया है। इस संबंध में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के द्वारा Mayur Crafts Pvt. Ltd. (M/s.) Versus Anil Kumar Bansal & Anr.: 2014(2) DNJ (Raj.) 568 के पैरा संख्या 2 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया गया है :–

> "2. After hearing the counsel for the parties and taking note of the facts of the case where resort to Order 5 Rule 17 C.P.C. was not taken by the Trial Court prior to allowing an application for substituted service of the defendant nor satisfaction as required under Order 5 Rule 20 C.P.C. recorded or pasting of notice as mandated under the said provision ensured and relying upon the said provision

ensured and relying upon the judgment of this Court on the case of Iqbal Kaur & Ors. Vs. Jagdish Prasad and others, 2013(3) RLW 1995, I would quash and set aside the impugned order dated 28.1.2002 passed by the Trial Court and corresponding allow the application under Order 9 Rule 13 C.P.C. filed by the defendant Appellant. The Civil Suit No. 71/1997 is restored to its original number. "

14. Iqbal Kaur & Ors. Versus Jagdish Prasad & Ors.: 2013(3) RLW 1995 (Raj.) की नजीर में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने पैरा संख्या 12 व 13 में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :—

"12. In the case in hand summons of defendants No. 1 to 9 were first issued on 26.7.1999 and thereafter on 24.4.2000. The summons issued on 24.7.1999 were served upon defendants Iqbal and Harmeet Singh but the defendants No. 2, 3, 5 to 11 remained unserved. However, the trial court while passing order dated 4.9.1999 has failed to take note of the fact that defendants Iqbal Kaur and Harmeet Singh have already been served, ordered for summoning all the defendants except defendants No. 11 to 14, 16 and 17. Second time summons of defendants No. 1 to 3 and 5 to 9 received unserved and trial court ordered for issuing fresh summons to them on new addresses vide order dated 26.5.2000 but the counsel for plaintiff never complied the said order and straight away requested for substituted service and trial court in a casual manner ordered for the same.

13. From the above it is clear that the trial court had not taken due care and diligence in getting the summons served upon the petitioners and ordered for substituted service in very casual manner. Before ordering substituted service the court should have record its satisfaction that the conditions on which alone it can be ordered exist. In the absence of such satisfaction recorded, the trial court illegally ordered for substituted service while taking recourse of Order 5 Rule 20 of CPC. ..."

15. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर Neerja Realtors Private Limited Versus Janglu (Dead) Through Legal Representative: (2018) 2 Supreme Court Cases 649 के पैरा संख्या 14 व 15 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "14. Evidently as the report of the bailiff indicates, he was unable to find the defendant at the address which was mentioned in the summons. The report of the bailiff does not indicate that the summons were affixed on a conspicuous part of the house, at the address mentioned in the summons. There was a breach of the provisions of Order 5 Rule 17. When the application for substituted service was filed before the Trial Court under Order 5 Rule 20, a cryptic order was passed on 2 September 2011. Order 5 Rule 20 requires the Court to be satisfied either that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service or that for any other reason, the summons cannot be served in the ordinary way. Substituted service is an exception to the normal mode of service. The Court must apply its mind to the requirements of Order 5 Rule 20 and its order must indicate due consideration of the provisions contained in it. Evidently the Trial Court failed to apply its mind to the requirements of Order 5 Rule 20 and passed a mechanical order. ...
>
> 15. The submission that under Order 5 Rule 20, it was not necessary to affix a copy of the summons at the court house and at the house where the defendant is known to have last resided, once the court had directed service by publication in the newspaper really begs the question. There was a clear breach of the procedure prescribed in Order 5 Rule 17 even antecedent thereto. Besides, the order of the Court does not indicate due application of mind to the requirement of the satisfaction prescribed in the provision. The High Court was, in these circumstances, justified in coming to the conclusion that the ex-parte

judgment and order in the suit for specific performance was liable to be set aside."

16. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में आदेश दिनांक 12.02.2013 विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 03 रमेश पालीवाल के नाम आदेशिका दिनांक 12.02.2013 से पूर्व कभी भी कोई समन जारी नहीं किया गया और सीधे ही दिनांक 12.02.2013 को प्रतिस्थापित तामील का आदेश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 03 व 04 क्रमशः रामनिरंजन व रमेश पालीवाल की तामील वादी की निशानदेही से भी करवाने के निर्देश दिए, लेकिन इस आदेश की भी पालना नहीं हुई। दिनांक 12.02.2013 से पूर्व करीब 10 बार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के समन जारी किए जाने के आदेश दिए गए लेकिन इन 10 आदेशिकाओं की पालना में केवल 2 बार ही रामनिरंजन के समन जारी किए गए। प्रत्येक आदेशिका की पालना में वादी ने पी.एफ. व समन भी पेश नहीं किए। वादी ने समन निशानदेही से तामील के कोई प्रयास नहीं किए। ऐसी परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा बिना संतुष्टि के सीधे ही प्रतिस्थापित तामील के आदेश दिए जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

17. जहां तक पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण की इस आपत्ति का प्रश्न है कि अनिरुद्ध शर्मा मूल दावे में पक्षकार नहीं था, इसलिए अनिरुद्ध शर्मा आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता है, लेकिन उनके इस तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि दिनांक 12.07.2018 को अप्रार्थी संख्या 01 राजकुमार की ओर से आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनिरुद्ध शर्मा हस्तगत प्रकरण में Stranger है और उसे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। यह प्रार्थना–पत्र विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2018 को खारिज किया गया। इस आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए यह आदेश अंतिम हो चुका है।

18. इसी प्रकार से जहां तक पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण की इस आपत्ति का प्रश्न है कि रमेश पालीवाल मात्र एक मुख्त्यार आम था और उसको विक्रय का करार करने की सीमा तक ही अधिकार था और वह विक्रय के करार के निष्पादन के साथ ही समाप्त हो गया, इसलिए उसका प्रकरण में कोई हित नहीं है और रमेश पालीवाल भी एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने हेतु आवेदन

पेश नहीं कर सकता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 ने आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.08.2018 को प्रस्तुत किया, जो विद्वान विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.10.2018 के द्वारा खारिज किया। इस आदेश को भी कोई चुनौती नहीं दिया जाना बताया है। इस प्रकार उपर्युक्त दोनों आदेश अंतिम हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण की उक्त आपत्ति में कोई सार प्रतीत नहीं होता है।

19. मूल दावे में अनिरुद्ध शर्मा पक्षकार अवश्य नहीं था लेकिन अनिरुद्ध शर्मा को प्रश्नगत संपत्ति अंतरित हुई है और उसका वर्तमान में प्रश्नगत संपत्ति में स्वामी की हैसियत से हित निहित है। रमेश पालीवाल शुरू से ही मूल दावे में बतौर प्रतिवादी पक्षकार था, इसलिए अनिरुद्ध शर्मा व रमेश पालीवाल द्वारा आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधिक रूप से पोषणीय प्रतीत होते हैं।

20. जहां तक पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रतिस्थापित तामील के आदेश दिनांक 12.02.2013 को चुनौती नहीं दी है, इसलिए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को चुनौती देने का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। लेकिन उनके इस तर्क में भी कोई विधिक बल नहीं है। क्योंकि प्रतिस्थापित तामील का आदेश दिनांक 12.02.2013 की निरंतरता व पूरकता में दिनांक 11.10.2013 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया। इसलिए प्रतिस्थापित तामील का आदेश दिनांक 12.02.2013, आदेशिका दिनांक 11.10.2013 में सम्मिलित हो गया, इसलिए पृथक से प्रतिस्थापित तामील के आदेश को चुनौती दी जाना विधिक रूप से आवश्यक एवं अपेक्षित नहीं है।

21. जहां तक मियाद के बिंदु का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के पृष्ठ संख्या 41 व 44 में विस्तृत विवेचन किया है, जो उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने के पर्याप्त आधार नहीं है।

22. कुल मिलाकर आक्षेपित आदेश सकारण, उचित एवं विधिसम्मत है। आक्षेपित आदेश किसी भी प्रकार की कोई अनुचितता, अवैधता एवं विधिक दोष से ग्रसित नहीं है। आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप के कोई पर्याप्त आधार नहीं

है। आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य है। पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका बलहीन व सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

23. परिणामतः पुनरीक्षणकर्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, उदयपुर के द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 74/2018 रामनिरंजन गौड़ व अनिरुद्ध शर्मा बनाम राजकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 एवं विविध दीवानी प्रकरण संख्या 73/2018 रमेश बनाम राजकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 की पुष्टि की जाती है।

24. इस आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को शीघ्र प्रेषित हो।

(MADAN GOPAL VYAS),J

120-123-Rajendra/-

यह आदेश/निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 (i) के तहत भारत सरकार की अधिसूचना राजपत्र संख्या 1, दिनांक 2 जनवरी 1999 एवं राजस्थान राजपत्र दिनांकित 10.3.1971 के तहत हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किए जाने के परिणामस्वरूप हिन्दी भाषा में लिखाया गया।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते